न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 08/2019 जिला सीकर ।

1. कैलाश चन्द पुत्र श्री नारायणलाल जाति अहीर निवासी ढाणी अहीरो वाली बडापाना वार्ड नं0 6, पटवारीकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2. बंशीधर यादव पुत्र श्री शंकरलाल अहीर निवासी 117 ढाणी डेरियावाली जैतुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
3. गिरधारी पुत्र श्री नाथूराम निवासी 89 जैतुसार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
4. हनुमानसहाय पुत्र श्री कजोडमल निवासी 58/02 जैतुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
3. पटवारी हल्का, पटवारी भवन पटवारीकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
4. सांवरमल पुत्र श्री झूंथाराम निवासी ढाणी बधाला वाली, वार्ड नं0 6, पटवारी का बास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह, निवासी बडापाना, वार्ड नं0 6, पटवारी का बास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
6. जग्गु राम उर्फ जगदीश पुत्र रूडाराम निवासी जैतुसर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 18.09.2018 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित--

1. वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान सिह कुडी।
2. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 सुमेर सिंह बडसरा।
3. रेस्पोडेंट 1 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

अपील संख्या 30/2019 जिला सीकर ।

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री गोमाराम।
2. श्योपाल सिंह पुत्र श्री गोमाराम।
3. सरदार सिह पुत्र श्री गोमाराम।

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बडापाना की तन पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. पटवारी हल्का, पटवारी भवन पटवारीकाबास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
4. सुरजभानसिंह पुत्र दीपचन्द निवासी ढाणी बडापाना जन पटवारीयो का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 18.09.2018 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान सिह कुडी।
2. रेस्पोडेंट संख्या 4 सुमेर सिंह बडसरा।
3. रेस्पोडेंट 1 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक–01.03.2021

1. यह दोनो द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 18.09.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.02.2019 एवं 23.07.2019 को प्रस्तुत हुई है। दोनो द्वितीयअपील उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के एक ही निर्णय दिनांक 18.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः दोनो अपीलोका निर्णय एक साथ किया जाता है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1364/राजस्व दिनाक28.07.2018 के द्वारा ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 850/2, 855, 856, 866, 867, 870, 875 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम पटवारीकाबास के खसरा नम्बर 850/2, 855, 856, 866, 867, 870, 875में से प्रस्तावित रकबे का भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह दोनो अपीले मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 18.09.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपील संख्या 08/2019 मेंअपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 18.09.2018 संबंधित पटवारी हल्का पटवारीकाबास एवं भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव में प्रचलित रास्ता पुराना होकर आवागमन सुचारू रहना बताया है। जबकि मौके पर किसी प्रकार का रास्ता ना ही तो मौजूद है ना ही पूर्व में एवं वर्तमान में कायम रहकर प्रचलित होकर चालू है। आमजन द्वारा कभी भी प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से कोई आवागमन नही किया गया, ना ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्शित है। प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा रास्ता आबादी क्षैत्र या आमजन के उपयोग उपभोग का होना प्रस्ताव में दर्शित नही किया गया है तथा ना ही रास्ता खुलवाने हेतु किसी सिविल व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन ही प्रस्तुत किया है। पटवारी हल्का एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने ढाणी अहीरो की, ढाणी बधाला की, बिजारणियो की ढाणी को जोडना बताकर सार्वजनिक उपयोग का रास्ता होना बताया है जबकि अपीलांट्स की भू–सम्पदा के नजदीक कोई आबादी क्षेत्र नही है, ना ही तथाकथित ढाणीयां वहां मौजूद है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 18.09.2018 पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्डनुसार खातेदार/अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सूचना प्रेषित करते या आपत्ति मांगी जाती लेकिन ऐसा नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आपेक्षित आदेश दिनांक 18.09.2018 विधि के प्रावधानो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आक्षेपित आदेश दिनांक 18.09.2018निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.09.2018 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 01.02.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

6. अपील संख्या 30/2019 में अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 18.09.2018 संबंधित पटवारी हल्का पटवारीकाबास एवं भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव में भूमि खसरा नम्बर 2484/875 के दक्षिण–पश्चिम कोणे में प्रचलित रास्ता पुराना होकर आवागमन सुचारू रहना बताया है। जबकि मौके पर किसी प्रकार का रास्ता ना ही तो मौजूद है, ना ही पूर्व में एवं वर्तमान में कायम रहकर प्रचलित होकर चालू है। प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा रास्ता आबादी क्षेत्र या आमजन के उपयोग उपभोग का होना प्रस्ताव में दर्शित नही किया गया है तथा ना ही रास्ता खुलवाने हेतु किसी सिविल व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन ही प्रस्तुत किया है। पटवारी हल्का एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने ढाणी अहीरो की, ढाणी बधाला की, बिजारणियो की ढाणी को जोडना बताकर सार्वजनिक उपयोग का रास्ता होना बताया है जबकि अपीलांट्स की भू–सम्पदा के नजदीक कोई आबादी क्षेत्र नही है, ना ही तथाकथित ढाणीयां वहां मौजूद है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 18.09.2018 पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्डनुसार खातेदार/अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सूचना प्रेषित करते या आपत्ति मांगी जाती लेकिन ऐसा नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आपेक्षित आदेश दिनांक 18.09.2018 विधि के प्रावधानो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आक्षेपित आदेश दिनांक 18.09.2018निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.09.2018 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी को अभाव के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 12.06.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेंटएवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 850/2, 855, 856, 866, 867, 870, 875 के खातेदारो की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 28.07.2018 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का पटवारीकाबास, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2018 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

8. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 28.07.2018 के अनुसार ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 850/2 रकबा 0.8650 है0 में से 0.0530 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 1.29 है0 में से 0.0400 है0, खसरा नम्बर 856 रकबा 3.11 है0 में से 0.1120 है0, खसरा नम्बर 866 रकबा 4.91 है0 में से 0.0130 है0, खसरा नम्बर 867 रकबा 7.11 है0 में से 0.0410 है0, खसरा नम्बर 870 रकबा 1.70 है0 में से 0.0720 है0 एवं खसरा नम्बर 875 रकबा 2.85 है0 में से 0.0050 है0 रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस व ग्राम पंचायत पटवारीकाबास की अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2018 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार ग्राम पंचायत पटवारीकाबास द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता राजस्व रिर्काड में दर्ज करने बाबत ग्राम पंचायत मीटिंग दिनांक 05.07.2018 के प्रस्ताव संख्या 04 सर्वसम्मति से पारित किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 28.07.2018में भी अंकित किया गया है कि ग्राम पटवारीकाबास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 850/2, 855, 856, 866, 867, 870, 875में से कच्चा कदीमी रास्ता है जो चालू है तथा मौके पर कोई अवरोध नही है। पुराने प्रचलित रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की अनुपालना में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई है। भूमि के खातेदारी अधिकारो में कोई परिवर्तन नही किया गया है। काफी अर्से से खेती नही किये जाने के कारण तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि को किस्म परिवर्तन कर वार्षिक अभिलेखो में दर्ज किया जाना राजस्व अधिकारी का कर्तव्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादग्रस्त रास्ते में आने वाली भूमि के अनेक लगभग 25 खातेदार है परन्तु मात्र सात खातेदारो द्वारा ही अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी गई है अन्य खातेदारो द्वारा नही। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है तथा दोनोअपीले खारिज किये जाने योग्य है। हम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner